फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी :–श्रीमती नवल कूंवर बनाम विपक्षी :– श्रीमती गीता देवी

क्स्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. पत्रावली संख्या : 77/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 23.08.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4, 5 उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4, 5 को पर्याप्त समय दिये जाने बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 4, 5 के जवाब का अवसर बंद किया जाता है। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थी प्रार्थनाग्रस्त भूमि के चारों ओर तारबंदी करवाना चाहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा संबंधित विवाद न हो जिससे प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनापत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। अतः पुख्ता सीमाकंन नहीं होने से प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कानोड चक 'ए' पटवार हल्का कानोड, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 378 की आराजी न. 3669, 3670, 3671, 3676, 3678, 3679, 3680, 3683, 3695 किता 09 रकबा 2.1800 हे. भूमि की चारों दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढी प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पुराने रेकर्ड व नये रेकर्ड को देखते हुये की जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीदार कानोड को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेगें। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:37:00 IST
Reason: SelfAttested